रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224446
CG-DL-E-15012021-224446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942
No. 163] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

का.आ. 183(अ).––केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप–खंड (ii), तारीख 23 जुलाई 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2418(अ)., तारीख 20 जुलाई 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन हेतु अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों अर्थात् अमर उजाला और दैनिक जागरण में तारीख 11अगस्त, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाब़द्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हेक्टेअर/ वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(औरैया सदर)	(उमरी)	2712	निजी	कृषि	0.0010	सुनील सिंह पुत्र तुकमान सिंह।
(2)	(बिधूना)	(वीरपुर)	69मि0	निजी	कृषि	0.0810	सीताराम, करतार सिंह पुत्रगण जियालाल, प्रेमचन्द्र, राघवेन्द्र कुमार, देवेश, जयचन्द्र, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण शिवबालक, रामश्री पत्नी स्व. शिवबालक, खुशीलाल पुत्र शम्भूदयाल, कमला देवी पत्नी स्व. शम्भूदयाल, लिट्टी देवी पत्नी हीरालाल।
(3)		(बैसोली देहात)	1004	निजी	कृषि	0.0500	महेशचन्द्र, कृष्णचन्द्र पुत्रगण तोताराम।

[फा. सं. 2020/एल.एम.एल–II/12/2/ईसी/2105]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निर्देशक (भू.एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

S.O. 183(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2418(E), dated the 20th July, 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 23rd July, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Amar Ujala and Dainik Jagran dated the 11th August, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hectares/Square metres	Name of the land owner/ interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(Auraiya Sadar)	(Umari)	2712	Pvt.	Agricultural	0.0010	Suneel Singh S/o Tukman Singh.
(2)	(Bidhuna)	(Veerpur)	69 fe0	Pvt.	Agricultural	0.0810	Sitaram, Kartar Singh S/o Jiya Lal, Prem Chandra, Raghvendra Kumar, Devesh, Jay Chandra, Devendra Kumar S/o Shiv Balak, Ram Shri W/o Late Shiv Balak, Khushi Lal S/o Shambhu Dayal, Kamla Devi W/o Late Shambhu Dayal, Litti Devi W/o Heera Lal.
(3)		(Baisoli Dehat)	1004	Pvt.	Agricultural	0.0500	Mahesh Chandra, Krishna Chandra S/o Totaram.

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2105]

A.K. Sinha, Executive Director (L&A and SD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.15 19:19:27 +05'30'